रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

GOVT. OF INDIA 1/12/99

सं॰ 756] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 1998/अग्रहायण 5, 1920
No. 756] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 1998/AGRAHAYANA 5, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का. आ. 991 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश सं. जे-17011/18/96-आईए-III, तारीख 13 अगस्त, 1998 को उन बातों के सिवाए प्रतिस्थापित करते हुए, जिन्हें ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1.	अपर सचिव (समाधात निर्धारण) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर नियोजक शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	महानिदेशक (पर्यटन) पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
4.	मछली उद्योग विकास आयुक्त कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (पत्तन) जल भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थापन, पंजिम, गोआ	सदस्य
7.	निदेशक, केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन	सदस्य
8.	फादर थोमस कोचेरी समन्वयकर्ता, वर्ल्ड फोरम आफ फिश हारवेस्टर्स एण्ड फिश वर्कर्स (डब्ल्यूएफएफ) वेलियथुरा, थिरुवअन्नतपुरम्	सदस्य
9.	श्री बाल माने अध्यक्ष, रत्नगिरि डिस्ट्रिकट, फिशरमैन एसोसिएशन, रत्नगिरि, महाराष्ट्र	सदस्य
10.	श्री शिव काशीनाथ नाइक, सरपंच, शियोरोडा केरवाडी, तहसील वेंगुरला, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	सदस्य
11.	श्री राजाराम गाडेकर मुक्तेश्वर संस्थान, अपूगांव, मलाड (पश्चिम) मुम्बई	सदस्य
12.	उप सचिव, समाधात निर्धारण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों का समन्वय करना।

(ii) राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजनाओं में वर्गीकरण के परिवर्तन और उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर केंद्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(iii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य नियम के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना।

(ख) ऊपर (iii) (क) के अधीन या तो स्वप्रेरणा से या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामलों का पुनर्विलोकन करना।

(iv) आदेश के पैरा II के उपधारा (iii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना।

(v) आदेश के पैरा II के उप पैरा (i), (ii) और (iii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित विषयों में संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार/प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों को, और, जहां आवश्यक हो, अन्य संस्थाओं/संगठनों को, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करेगा।

IV. प्राधिकरण राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं, एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनके उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उसमें अपना अनुमोदन लेखबद्ध करेगा।

V. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में, नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष केन्द्रों की स्थापना एवं वित्तपोषण पर सलाह दे सकेगा।

VI. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित सभी पर्यावरणीय विवाद्यकों में का निपटान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जाएं।

VII. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को कम से कम छह मास में एक बार प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य, केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

IX. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

X. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौथ पौल, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S. O. 991 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as said Act) and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number J-17011/18/96-IA-III dated 13th August, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1. Additional Secretary (Impact Assessment), Minstry of Environment and Forests, New Delhi,	Chairman.
2. Chief Town Planner, Ministry of Urban Affairs and Employment, New Delhi.	Member.
3. Director General (Tourism), Ministry of Tourism, New Delhi,	Member.
4. Fisheries Development Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi.	Member.

5.	Joint Secretary (Ports), Ministry of Surface Transport, New Delhi.	Member
6.	Director, National Institute of Oceanography, Panjim, Goa.	Member
7.	Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin.	Member
8.	Father Thomas Kocherry, Coordinator, World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF), Valiathura, Thiruvananthapuram.	Member
9.	Shri Bal Mane, President, Ratnagiri District Fishemen's Association, Ratnagiri, Maharashtra.	Member
10.	Shri shiva Kashinath Naik, Sarpanch Shioroda Kerwadi, Tehsil Vengurla, District Sindhudurg, Maharashtra	Member
11.	Shri Rajaram Gadhekar, Mukteshwar Sansthan, Apoogaon, Malad (West), Mumbai.	Member
12.	Deputy Secretary, Impact Assessment, Ministry of Environment and Forests, New Dehli.	Member Sceretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas, namely:—

(i) Co-ordination of actions by the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the obejects of the said Act.

(ii) Examination of the proposals for changes and modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities, and making specific recommendations to the Central Government therefor.

(iii)(a) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, issue directions under section 5 of the said Act.

(b) Review of cases under (iii) (a) either suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual,or a representative body, or an organisation functioning in the field of environment.

(iv) File complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (iii) (a) of paragraph II of the Order.

(v) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i), (iii), and (iii) of paragraph II of the Order.

III. The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union Territory Governments/Administrations, the State Coastal Zone Management Authorities, the Union Territory Coastal Zone Management Authorities, and other institutions/organisations as may be found necessary, in matters relating to the protection and improvement of the coastal environment.

IV. The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated Coastal Zone Management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities.

V. The Authority may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of Centres of Excellence and funding, in matters relating to Coastal Regulation Zone Management.

VI. The Authority shall deal with all environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Central Govenment.

VII. The Authority shall furnish report of its activities and the activities of the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities at least once in six months to the Central Government.

VIII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

IX. The Authority shall have its headquarters at New Delhi.

X. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Additional. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर 1998

का.आ.992(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :—

1.	मुख्य सचिव, अन्डमान और निकोबार प्रशासन, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर।	अध्यक्ष
2.	श्री डब्ल्यू बी. थम्बूदुरई, मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अन्डमान लक्षद्वीप हार्बर संकर्म, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
3.	सचिव पर्यावरण विभाग, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
4.	निदेशक, मत्स्य उद्योग विभाग, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
5.	निदेशक, केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
6.	डा. पी. एस. एन. राव, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, पोर्टब्लेयर।	सदस्य
7.	वन संरक्षक, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्टब्लेयर।	सदस्य-सचिव

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सी.जैड. एम. पी.) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु यह कि पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन ज़ोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन अपक्षय के लिए अतिसुमेय क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के अनुमोदित तटीय ज़ोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यावेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्टब्लेयर में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टत: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई.ए.-III.]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 992 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Andaman and Nicobar Islands Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1. Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair. — Chairman.
2. Sh. W.G. Thambudurai, Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadeep Harbour Works, Ministry of Surface Transport, Port Blair. — Member.
3. Secretary, Department of Environment, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair. — Member.
4. Director, Department of Fisheries, Port Blair. — Member.
5. Director, Central Agriculture Research Institute, Port Blair. — Member.
6. Dr. P. S. N. Rao, Botanical Survey of India, Port Blair. — Member.
7. Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair. — Member-Secretary.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, namely:—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from theAndaman and Nicobar Islands Administration, and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of th said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph 2 may be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Andaman and Nicobar Islands Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andaman and Nicobar Islands.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Port Blair.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का. आ. 993 (अ).—केन्द्रीय सरकार, द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. प्रधान सचिव, —अध्यक्ष
पर्यावरण, वन और विज्ञान तथा
प्रौद्योगिकी, आंध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।

2. सचिव, —सदस्य
राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।

3. निदेशक —सदस्य
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी,
हैदराबाद।

4. डा. एम. बाबू राव —सदस्य
सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य,
कालेज ऑफ फिशरीज, ए. एन. जी.
आर. कृषि विश्वविद्यालय।

5. डा. ए. वी. रमन —सदस्य
वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष
सामुद्रिक जैव विज्ञान प्रयोगशाला
विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,
आंध्र प्रदेश, वाल्टेयर।

6. सदस्य सचिव, —सदस्य
आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हुडा काम्प्लैक्स, हैदराबाद।

7. निदेशक —सदस्य सचिव
तटक्षेत्र विकास प्राधिकरण,
हैदराबाद।

II. प्राधिकरण को आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उन्मूलन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना (सी जेड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाएं गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों उपबंधों के अभिकथित व्यतिक्रम के मामलों की जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामले में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उस विनिर्दिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों।

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, के उपबंधों के व्यतिक्रम वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए विनिर्दिष्ट करना :

परन्तु यह कि पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी ।

(iii) आदेश के पैरा II के उप पैरा (ii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना।

(iv) आदेश के पैरा II के उप पैरा (i) और (ii) से उद्भूत, विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाद्यकों का निपटान करेगा जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा।

V. साधिकरण अतिसंवेदनशील ह्रास /अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा ।

VI. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा जो आंध्र प्रदेश की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं।

IX. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छह महीने में एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं. 17011/18/96-आई ए -III]

के. रौय पोल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 993(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

1. Principal Secretary, Environment, Forests and Science and Technology, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad. —Chairman

2. Secretary, Department of Revenue Government of Andhra Pradesh Hyderabad. —Member

3. Director, National Remote Sensing Agency, Hyderabad. —Member

4. Dr. M. Babu Rao, Retired Principal, College of Fisheries, ANGR Agriculture University. —Member

5. Dr. A. V. Raman, Head of the Department of Zoology College of Science and Technology Andhra University, Waltair. —Member

6. Member Secretary, Andhra Pradesh pollution Control Board, HUDA Complex, Hyderabad. —Member

7. Director, Shore Area Development Authority, Hyderabad. —Member - Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Andhra Pradesh, namely:—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Andhra Pradesh State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and or the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent

with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government, Andhra Pradesh the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andhra Pradesh.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Hyderabad.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Ad. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 994(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1.	सचिव पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, देशीय और नगर योजना तमिलनाडु सरकार।	सदस्य
3.	सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चैन्नई।	सदस्य
4.	डा. रवीन्द्रन राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई।	सदस्य
5.	डा. पी.पी. वैद्यरामन, सेवा निवृत निदेशक, सी डब्ल्यू पी आर एस, सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे, (सी डब्ल्यू पी आर एस)	सदस्य
6.	डा. एल कण्णन, निदेशक, सैन्टर फार एडवांस स्टडीज इन मैरिन बाइलौजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय।	सदस्य
7.	निदेशक, पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार।	सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त के तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के, प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम के धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण। द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (iii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाधकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विधायकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे तमिलनाडु राज्य सरकार प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन। अपक्षय के लिए अतिसुमेध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनासन तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर IV, V, VI पैरा के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो तमिलनाडु के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय चेन्नेई में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टत: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 994(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority (hereinafter refered to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

1.	Secretray, Department of Environment, Government of Tamil Nadu, Chennai.	Chairman
2.	Director, Country and Town Planning, Government of Tamil Nadu, Chennai.	Member

3.	Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Chennai.	Member
4.	Dr. Ravindran, National Institute of Ocean Technology, Indian Institute of Technology, Chennai.	Member
5.	Dr. P.P. Vaidhyaraman, Rtd. Director, CWPRS, Central Water and Power Research Station, Pune, (CWPRS)	Member
6.	Dr. L. Kannan, Director, Central for Advanced Studies in Marine Biology, Anamalai University.	Member
7.	Director, Department of Environment Government of Tamil Nadu, Chennai.	Member - Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of Tamil Nadu, namely:—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Tamil Nadu State Government and specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and or the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directons been under section 5 of the said Act insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority.

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Tamil Nadu State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Tamil Nadu.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Chennai.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]
K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 995 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात इस

आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. सचिव, —अध्यक्ष
   पर्यावरण विभाग,
   पंजिम
2. मुख्य नगर नियोजक —सदस्य
   नगर और ग्राम नियोजन
   कार्यालय, पंजिम
3. भार साधक अधिकारी —सदस्य
   भारतीय खान ब्यूरो,
   पंजिम
4. निदेशक, —सदस्य
   पर्यटन विभाग,
   पंजिम
5. डा. अरविंदा ऊंटावले —सदस्य
   राष्ट्रीय सामुदायिक विज्ञान
   संस्थान, दोना पौला
6. प्रो. लीला भौसले —सदस्य
   विभागाध्यक्ष
   कोल्हापुर विश्वविद्यालय
7. निदेशक —सदस्य
   विज्ञान, प्रौद्योगिकी सचिव
   और पर्यावरण विभाग
   पंजिम

(II) प्राधिकरण को गोवा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) गोवा राज्य से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना (सी जैड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों उपबंधों के अधिकथित व्यतिक्रम के मामलों की जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामले में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उस विनिर्दिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ।

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, के उपबंधों के व्यतिक्रम वाले मामलोंका पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए निर्दिष्ट करना :

परन्तु यह कि पैरा II के उपपैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी ।

(iii) आदेश के पैरा II के उप पैरा (ii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना ।

(iv) आदेश के पैरा II के उप पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

(III) प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाद्यकों का निपटान करेगा जो गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किए जाएं।

(IV) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा ।

(V) प्राधिकरण अतिसंवेदनशील ह्रास/अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा ।

(VI) प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

(VII) प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(VIII) प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा जो आंध्र प्रदेश की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं ।

(IX) प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छह महीने में एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(X) प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

(XI) प्राधिकरण का मुख्यालय पणजी में होगा ।

(XII) इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 995 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Goa Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1.	Secretary Department of Environment, Panjim.	—Chairman
2.	Chief Town Planner, Town and Country Planning Office, Panjim.	—Member
3.	Shri Ashok Kumar, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Panjim.	—Member
4.	Director, Department of Tourism, Panjim.	—Member
5.	Dr. Arvinda Untawale, National Institute of Oceanography, Dona Paula.	—Member
6.	Prof. Leela Bhosle, Head of Department, University of Kolhapur.	—Member
7.	Director, Department of Science, Technology and Environment, Panjim.	—Member Secretary.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of Goa, namely :—

(i) Examination of proposals or changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Goa State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and/or the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of Cases involving violations of the provisions of the said act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Goa State Governement, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify eonomically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Goa.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Panaji.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 996 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पांडिचेरी तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. सचिव, पर्यावरण विभाग, पांडिचेरी	—अध्यक्ष
2. निदेशक, फिशरीज विभाग, पांडिचेरी	—सदस्य
3. मुख्य नगर योजनाकार नगर और देशीय योजना विभाग, पांडिचेरी	—सदस्य
4. डा. आर. महादेवन, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	—सदस्य
5. डा. आर. एल. कानन, निदेशक, सेन्ट्रल फार एडवांस स्टडीज इन मैरीन बाइलोजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	—सदस्य
6. सदस्य सचिव, पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, पांडिचेरी।	सदस्य सचिव

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और पांडिचेरी प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सी ज़ेड एम पी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को निदेशित करना;

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लघंन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाधकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन ज़ोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाधकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे पांडिचेरी प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV प्राधिकरण तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन। अपक्षय के लिए अतिसुमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI प्राधिकरण तटीय विनियमन ज़ोन में आर्थिकरूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो पांडिचेरी के अनुमोदित तटीय ज़ोन प्रबन्ध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय पांडिचेरी में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टत: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई ए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 996 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Pondicherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1. Secretary —Chaiman
   Department of Environment,
   Pondicherry.
2. Director, —Member
   Department of Fisheries,
   Pondicherry.
3. Chief Town Planner, —Member
   Town and Country planning
   Department,
4. Dr. R. Mahadevan. —Member
   National Institute of Ocean Technology,
   Indian Institute of Technology,
   Chennai.
5. Dr. L. Kannan, —Member
   Director,
   Centre for Advanced Studies in
   Marine Biology,
   Anamalai University.
6. Member Secretary, —Member Secretary.
   Pondicherry Pollution Control Comittee,
   Pondicherry.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the Union Territory of Pondicherry, namely :—
following :

(i) Examination of proposals or changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Pondicherry Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo-moto*, or on the basis of complaint made by any individual, representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Pondicherry Administraion, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Pondicherry.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Pondicherry.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statuatory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]
K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 997(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) धिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त धिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) ा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल तटीय जोन प्रबंध धिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा ा है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति गे, अर्थात्:—

1.	सचिव पर्यावरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, फिशरीज विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार।	सदस्य
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार।	सदस्य
4.	श्री अनिल वरूण बिश्वास सैंटर फार स्टडी फार मैन एंड एनवायरमेंट, भूविज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय।	सदस्य
5.	डा. एल. के. बैनर्जी, एस. एफ. वैज्ञानिक, बोटेनिकल सर्वे आफ इंडिया, कलकत्ता।	सदस्य
6.	डा. ए. के. घोष, जेलोजिकल सर्वे आफ इंडिया।	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य-सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पश्चिम बंगाल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त के तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के, प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विधायकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन/अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन मे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI पैरा के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो पश्चिमी बंगाल के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जो प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 997(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the West Bengal Coastal Zone Management Authority (hereinafter refered to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

1.	Secretray Department of Environment, Government of West Bengal, Calcutta.	Chairman
2.	Director Department of Fisheries Government of West Bengal, Calcutta.	Member
3.	Principal Chief Conservator of Forests, Department of Forests Government of West Bengal.	Member
4.	Sh. Anil Varun Biswas, Centre for Study for Man and Environment, Department of Geology, University of Calcutta.	Member
5.	Dr. L. K. Banarjee, Scientist S. F. Botanical Survey of India, Calcutta.	Member
6.	Dr. A. K. Ghosh, Zoological Survey of India.	Member
7.	Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board.	Member - Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of West Bengal, namely :—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the West Bengal State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and or the rules made thereunder, or any other law for the time being in force which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the West Bengal State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of West Bengal.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Calcutta.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statuatory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ.998(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986(1986 का 29) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा(1) और उपधारा (3)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दमण और दीव तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है)के नाम से ज्ञात इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन कारती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1.	प्रशासक दमन, द्विव, दादरा और नागर हवेली, सचिवालय प्रशासन सर्किट हाउस, मोतीदमन	अध्यक्ष
2.	कार्यपालक इंजीनियर लोक निर्माण विभाग मोती दमण	सदस्य
3.	मुख्य वन संरक्षक मोती दमण	सदस्य
4.	निदेशक अंतरिक्ष उपयोजन केन्द्र अहमदाबाद	सदस्य
5.	निदेशक केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	सदस्य
6.	सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण समिति, मोती दमण	सदस्य-सचिव

II. प्राधिकरण को दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) दमण और दीव प्रशासन से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना (सी जेड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसीअन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों उपबंधों के अभिकथित व्यतिक्रम के मामलों की जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामले में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उस विनिर्दिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों।

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, के उपबंधों के व्यतिक्रम वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए निर्दिष्ट करना;

परन्तु यह कि पैरा 2 के उपपैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाई की जा सकेगी ।

(iii) आदेश के पैरा II के उपपैरा (ii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना।

(iv) आदेश के पैरा II के उप पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्यवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावतरणीय विवाद्यकों का निपटान करेगा जो दमण और दीव प्रशासन राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा।

V. प्राधिकरण, अतिसंवेदनशील हल/अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपान्तरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट के शर्तों अनुपालन की सुनिश्चित करेगा, जो दमण और द्वीव की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छह महीने में एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय दमण में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई.ए.-III.]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 998 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby contitutes an authority to be known as the Daman and Diu Islands Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1. Administrator, Daman and Diu, Dadar and Nagar Havli, Secretariat, Moti Daman	Chairman
2. Executive Engineer, Public Works Department, Moti Daman	Member
3. Chief Conservator of Forests, Moti Daman	Member
4. Director, Space Application Centre, Ahmedabad.	Member
5. Director, Central Institute of Fisheries Education, Mumbai.	Member
6. Member Secretary, Pollution Control Committee, Moti Daman	Member Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the Union Territory of the Daman and Diu, namely:—

(i) Examination of proposals for changes/ modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Daman and Diu Administration, and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Daman and Diu Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Daman and Diu.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Moti Daman.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statuatory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 999 (अ)—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :

1. सचिव, —अध्यक्ष
   पर्यावरण और वन विभाग,
   गुजरात सरकार
2. आयुक्त, —सदस्य
   उद्योग विभाग, गुजरात सरकार
3. प्रधान मुख्य वन और वन्य प्राणि संरक्षक, —सदस्य
   गांधी नगर
4. प्रोफेसर निखिल देसाई, —सदस्य
   भू-विज्ञान विभाग,
   एम. एस. भू-विज्ञान विश्वविद्यालय, बदोदरा
5. श्री के. बी. जैन, —सदस्य
   निदेशक,
   पर्यावरण और योजना तकनीकी केन्द्र
   स्थापत्यकला विद्यालय, अहमदाबाद
6. प्रोफेसर अनिल गुप्ता, —सदस्य
   इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट,
   अहमदाबाद
7. निदेशक, —सदस्य सचिव
   पर्यावरण विभाग,
   गुजरात सरकार

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के, प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निद्रेशित करना :

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे गुजरात राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थतिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचानं किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन। अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में अधिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो गुजरात के अनुमोदित तटीय ज़ोन प्रबन्ध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय गांधी नगर में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 999(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Gujarat Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely;

1.	Secretary Environment and Forests Department Government of Gujarat	— Chairman
2.	Commissioner Department of Industries Government of Gujarat	— Member
3.	Principal Chief Conservator of Forests and Wild Life Gandhi Nagar.	— Member
4.	Prof. Nikhil Desai Department of Geology M. S. University of Geology, Vadodara	— Member
5.	Sh. K. B. Jain Director Centre for Environment and Planning Technology School of Architecture, Ahmedabad.	— Member
6.	Prof. Anil Gupta Indian Institute of Management Ahmedabad	— Member
7.	Director Department of Environment	— Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environment pollution of coastal ares of the State of Gujarat namely :—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Gujarat State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this order.

(iv) To take action to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Gujarat, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Gujarat.

IX. The Authority shall furnish a progress report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Gandhinagar.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 1000(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात इस आदेश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :—

1.	सचिव वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार	अध्यक्ष
2.	निदेशक, उद्योग विभाग, कर्नाटक सरकार	सदस्य
3.	सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
4.	फादर सल्दान्हा, प्रो. वनस्पति विज्ञान विभाग, सेंट जौसफ कॉलेज, बंगलौर	सदस्य
5.	प्रो. टी. आर. सी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, जलीय विज्ञान विभाग कॉलेज ऑफ फीसरीज, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मंगलौर	सदस्य
6.	प्रो. डी. के. सुब्रमण्यम, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	सदस्य
7.	निदेशक, पर्यावरण तकनीकी सेल, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग कर्नाटक सरकार	सदस्य-सचिव

II. पर्यावरण को, कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबन्ध योजना (सी जैड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों सा किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो उपबन्धों का अधिकथित व्यतिक्रम के मामलों पर जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उसे विनिर्दिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, के उपबन्धों व्यतिक्रम वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए विनिर्दिष्ट करना :

परन्तु यह कि पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकात फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाद्यकों का निपटान करेगा जो कर्नाटक राज्य सरकार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितकीय संवेदनशील जोन की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं विरचित करेगा।

V. प्राधिकरण, अति संवेदनशील ह्रास/अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपान्तरणों का राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

VII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, जो कर्नाटक की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छह मास में एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।

XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय बंगलौर में होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 1000(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act,) the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Karnataka Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

1.	Secretray Department of Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka	Chairman
2.	Director Department of Industries, Government of Karnataka	Member
3.	Member Secretary, Karnataka State Pollution Control Board	Member
4.	Father Saldanha Professor, Department of Botany, St. Joseph's College, Bangalore	Member
5.	Prof. T.R.C. Gupta Head of Department, Department of Aquatic Sciences College of Fisheries University of Agricultural Sciences, Mangalore	Member
6.	Prof. D.K. Subramanian, Department of computer Sciences Indian Institute of Sciences, Bangalore	Member
7.	Director, Environment Technical Cell, Department of Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka, Bangalore	Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of Karnataka namely:—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Government of Karnataka and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and or the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directons under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Karnataka, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Karnataka.

IX. The Authority shall furnish a report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Bangalore.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statuatory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]
K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ.1001(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात, इस आदेश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :—

1. सचिव, —अध्यक्ष
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, केरल सरकार

2. सचिव, —सदस्य
राजस्व विभाग,
केरल सरकार

3. सदस्य सचिव, —सदस्य
केरल राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड

4. डा. एम. बाबा, निदेशक —सदस्य
सेंटर फॉर अर्थ साइंस और
स्टडीज, थिरुवनन्थपुरम

5. निदेशक, —सदस्य
केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान
संस्थान, कोचीन

6. प्रो. बालकृष्णन नायर, —सदस्य
एमरिटस साइंटिस्ट, स्वाती, रेसिडेंस
रोड, थाईकाड, थिरुवनन्थपुरम

7. निदेशक, सदस्य-सचिव
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण,
केरल सरकार

II. पर्यावरण को केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबन्ध योजना (सी.जैड. एम. पी.) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों उपबंधों

का अधिकथित व्यतिक्रम के मामलों पर जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उसे विनिर्दिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों के उपबन्धों के व्यतिक्रम वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए विनिर्दिष्ट करना :

परन्तु यह कि पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाद्यकों का निपटान करेगा जो केरल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितकीय संवेदनशील जोन क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजना विरचित करेगा।

V. प्राधिकरण, अति संवेदनशील ह्रास/अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाएं विरचित करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपान्तरणों का राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, जो केरल की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं।

IX. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छः मास में एक बार राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय तिरुअनंतपुरम होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई.ए.-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 1001 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Kerala Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1. Secretary, Department of Health & Family Welfare, Government of Kerala.	Chairman
2. Secretary, Department of Revenue, Government of Kerala.	—Member
3. Member Secretary, Kerala State Pollution Control Board	—Member
4. Dr. M. Baba, Director, Central for Earth Sciences and Studies, Thiruvananthapuram.	—Member
5. Director, Centrel Marine Fisheries Research Institute, Cochin.	—Member
6. Prof. Balakrishnan Nair, Emeritus Scientist, Swati, Residence Road, Thycaud, Thiruvananthapuram.	—Member.
7. Director, Science, Technology and Environment Government of Kerala.	—Member Secretary

I. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of Kerala namely:—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Kerala State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or an representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action, under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order. 2 ,

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Kerala, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Kerala.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 1002(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्षद्वीप द्वीप समूह तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1.	प्रशासक एंव सचिव (पर्यावरण) कवारति,	अध्यक्ष
2.	उप वन संरक्षक कवारति,	सदस्य
3.	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, कवारति,	सदस्य
4.	डा.आर. रामचंद्रन सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़, थिरूवानन्थपुरम्	सदस्य
5.	निदेशक, केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन	सदस्य

3177/GI/98-4

6. श्री डब्ल्यू. जी. थम्बीदुराई, सदस्य
मुख्य इंजीनियर और प्रशासक,
अंडमान लक्ष्यद्वीप बन्दरगाह संकर्म,
जलभूतल परिवहन मंत्रालय,
पोर्ट ब्लेयर

7. सदस्य सचिव, सदस्य सचिव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लक्ष्यद्वीप

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सीज़ैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के, प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii)(क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे लक्षद्वीप द्वीप-समूह प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन। अपक्षय के लिए अतिसुमेध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय कावारत्ती में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टत: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 1002(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Lakshadweep Islands Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the

uthority) consisting of the following persons, for a period f two years, with effect from the date of publication of this)rder in the Official Gazette, namely :—

1.	Administrator Cum Secretary (Environment), Kavaratti.	Chairman
2.	Deputy Conservator of Forests Kavaratti.	Member
3.	Superintending Engineer, Public Works Department, Kavaratti.	Member
4.	Dr. R. Ramachandran, Center for Earth Sciences Studies, Thiruvananthapuram,	Member
5.	Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin.	Member
6.	Sh. W. G. Thambudurai, Chief Engineer & Administrator, Andaman Lakshadeep Harbour, Works, Ministry of Surface Transport. Port Blair.	Member
7.	Member Secretary, Pollution Control Board, Lakshadeep.	Member - Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the Union Territory of Lakshadweep, namely :—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Lakshadweep Islands Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority.

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action to under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Lakshadweep Islands Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Union Territory Coastal Zone Management Plan of the Lakshadweep Islands.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 1003(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1.	सचिव पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	अध्यक्ष
2.	सचिव, राजस्व और वन विभाग महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
3.	सचिव, नगरीय विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
4.	डा. लीला भौंसले वनस्पति विभाग, कोल्हापुर विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	सदस्य
5.	डा. ए. डी. दीवान, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज एजुकेशन, वेरसोआ, मुम्बई	सदस्य
6.	डा. आर. पी. गुप्ता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महाराष्ट्र राज्य, मुम्बई।	सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सी जैड एम पी) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के, प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम के धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे महाराष्ट्र राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन/अपक्षय के लिए अतिसुमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनासन तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो महाराष्ट्र के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टत: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 1003(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

1.	Secretary, Department of Environment, Mumbai, Government of Maharashtra.	Chairman
2.	Secretary, Department of Revenue and Forests, Mumbai, Government of Maharashtra.	Member
3.	Secretary, Urban Department, Government of Maharashtra, Mumbai.	Member
4.	Dr. Leela Bhosele, Department of Botany, Kolhapur University, Kolhapur.	Member
5.	Dr. A. D. Diwan, Central Institute of Fisheries Education, Versoa, Mumbai.	Member
6.	Dr. R. P. Gupta, Indian Institute of Technology, Mumbai.	Member
7.	Member Secretary, Maharashtra State Pollution Control Board, Mumbai.	Member - Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of Maharashtra, namely:—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Maharashtra State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and/or the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority.

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Maharashtra State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Maharashtra.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Mumbai.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर 1998

का.आ. 1004(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उड़ीसा तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :—

1.	मुख्य सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं वन स्कंध, उड़ीसा सचिवालय, भुवनेश्वर	अध्यक्ष
2.	सदस्य सचिव, उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भुवनेश्वर	सदस्य
3.	भारसाधक अधिकारी, सैन्ट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टेशन, भुवनेश्वर	सदस्य
4.	प्रो. श्रीमती हेजमडी कुलपति, सम्बलपुर विश्वविद्यालय	सदस्य
5.	श्री. आर. सी. दास 337, लुईस रोड सराना हाऊस भुवनेश्वर-2	सदस्य
6.	श्री एस. एस. दास, संयुक्त निदेशक एल-1, डायरेक्टोरेट आफ माइनिंग एण्ड जियोलॉजी उड़ीसा	सदस्य
7.	निदेशक, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं वन स्कंध, उड़ीसा सचिवालय, भुवनेश्वर	सदस्य-सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सी.जैड. एम. पी.) में वर्गीकरण के परिवर्तन/उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन करने के लिए राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन ज़ोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उड़ीसा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन अपक्षय के लिए अतिसुमेध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन ज़ोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय ज़ोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो उड़ीसा के अनुमोदित तटीय ज़ोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यावेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई.ए.-III.]

के. रौय पौल, अपर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1998

S.O. 1004 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Orissa Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

I.	Principal Secretary, Science, Technology and Environment and Forests wing, Orissa Secretariat, Bhubaneshwar.	Chairman.
2.	Member Secretary, Orissa State Pollution Control Bsoard, Bhubaneshwar.	Member.
3.	Officer-in-charge, Central Marine Fisheries Research Institute, Research Station, Bhubaneshwar	Member
4.	Prof. Mrs. Hejmadi, Vice Chancellor, Sambalpur University.	Member
5.	Sh. S.S. Das, Joint Director Directorate of Mining and Geology, Bhubaneshwar.	Member
6.	Sh. R.C Das, Sarana House, 337 Louise Road, Bhubaneshwar.	Member
7.	Director, Science, Technology, and Environment and Forests Wing, Orissa Secretariat Bhubaneshwar.	Member- Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas of the State of Orissa, namely:—

(i) Examination of proposals for changes/modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Orissa State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquiry into cases of alleged violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and, if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the casses under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual, or a representative body, or an organisation.

(iii) Filing complaints, under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (ii) (a) of paragraph II of this Order.

(iv) To take action under section 10 of this order to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Orissa State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion/degradation, and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V, VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Orissa.

IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Bhubaneswar.

XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

K. ROY PAUL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.